उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-15/2018/आडिट-964/दस-2018-320(3)/2018
लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री नफीस अहमद, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ के चिकित्सीय अवकाश पर होने के कारण मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 30.08.2018 के क्रम में श्रीमती कान्ती सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, गन्ना संघ, लखनऊ को श्री नफीस अहमद के चिकित्सीय अवकाश की अवधि तक उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-15/2018/आडिट-964(1)/दस-2018-320(3)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बराती लाल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।